कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज।

पत्र संख्याः–सीएफओ/एफएस/कालेज/2020/113 दिनॉकः–जनवरी 9 ,2020

सेवा में,

प्रो/प्रबन्धक,
शंम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरमेन्सी
झलवा प्रयागराज।

विषय– शंम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरमेन्सी झलवा प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

सन्दर्भः– आवदेक के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में ।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के कम में भवन में स्थापित फायर प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटक्शन सिस्टम की स्थापना/कियाशीलता का निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

1–भवन तक अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ जा सकते है।

2–फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 मानक 2190 के अनुसार उपलब्ध पाये गयें।जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

3–भवन के प्रत्येक तल एन0बी0सी0–2016 मानक के अनुसार होजरील लैण्डिग वाल्व स्थापित एवं कार्यशील दशा में हैं।

4 भवन में लगे समस्त अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गयें।

5–फायर स्टेशन का मोबाइल अंकित किया गया हैं।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैं।

1– प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थओ का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना अपेक्षित है।

2– किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

3– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना अपेक्षित हैं।

4–प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियो को प्रदान की जाना अपेक्षित है।

5– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का नवीनीकरण प्रमाण–पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

6– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

7– अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 6, भाग - 2

प्रपत्र संख्या - 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, प्रयागराज

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम ....

2. पता .... शम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी झलवा प्रयागराज

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।) .... फायर एक्सटिंगुशरों की रिफलिंग / टेस्टिंग फीस

5. चालान की सकल राशि

6. चालान की निबल राशि

7. लेखा-शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखाशीर्षक की मुहर : ....

8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0070	60	109	01	--	180/=

धनराशि (शब्दों में) एक सौ अस्सी रुपयेमात्र .... योग 180/=

चालान में लेखा-शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(मुहर: मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय, प्रयागराज, दि०......)

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : .... अंकों में रू0

शब्दों में रू0

दिनांक : .... प्राप्त किया

(मुहर: भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद शाखा, 07 JAN 2020, 5308450)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार / बैंक की मुहर सहित

180 A70005

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)

नोट / सिक्के		(धनराशि रूपयों में)
2000	X	
500	X	
200	X	
100	X	
50	X	
20	X	
10	X	
5	X	
2	X	
1	X	
चेक (पूर्ण विवरण के साथ)		
योग :-		

टिप्पणी :-

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार - कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड -4 अथवा लोक लेखा खण्ड -2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड -2 (लोक लेखा) तथा खण्ड -4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2. जिन जमा धनराशियों के लिये निकायन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रचारित लेखा-शीर्षक विशेष में धनराशि जमा कराने हेतु अनुशासित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित कराना आवश्यक नहीं होगा।

3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।